हुक्म
में

.22	...त्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी ...न्य कार्यों मे व्यस्त है,मिसल इल्तबा होकर पत्रावली पुर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 27.7.22को पेश हो।	
27/7/22	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उप०। पत्रावली वास्ते विपक्षीगण के जवाब हेतु आईन्दा दिनांक 03/08/22 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
03/08/22	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण वकील उप०। विपक्षीगण के तामील शुदा प्राप्त होने के बावजूद भी उनकी ओर से कोई उप० नहीं हुआ अतः उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती है। प्रार्थीगण वकील ने उक्त आवेदन पर बहस सुनने का निवेदन किया। प्रार्थीगण वकील की बहस सुनी गयी। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। जिससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करने योग्य है। अतः [illegible] मसला में निरस्त जाकर शामिल [illegible] किया जाता है पत्रावली [illegible] होकर दाखिल दफ्तर हो। संख्या से कम हो। (हस्ताक्षर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2022.08.27 14:33:42 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा जिला बाड़मेर

प्रार्थीगण		विप्रार्थीगण
1. पोकरराम पुत्र रामूराम 2. पूनमचंद पुत्र रामूराम 3. हेमाराम पुत्र रामूराम 4. कमलेश पुत्र पूनमचंद 5. सत्यपाल पुत्र पूनमचंद 6. मालूदेवी पत्नी कमलेश जाति विश्नोई निवासी सदराम की बेरी तहसील धनाऊ जिला बाड़मेर।	**बनाम**	1. कानाराम पुत्र खंगाराराम 2. गुमनाराम पुत्र खंगाराराम 3. गोमाराम पुत्र खंगाराराम 4. खेताराम पुत्र पीराराम 5. दुर्गाराम पुत्र पीराराम 6. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार धनाऊ जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज.भू. राजस्व अधिनियम वास्ते नेखमबंदी बाबत्।

राजस्व आवेदन संख्या 53/2021 दिनांक : 03.08.2022

आदेश

तहसीलदार धनाऊ को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील धनाऊ पटवार क्षेत्र कितनोरिया भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र भूणिया के मौजा समों की ढाणी के खेत खसरा संख्या 633/246 रकबा 38.12 बीघा किस्म बारानी सोयम के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार धनाऊ को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की पेमाईश आप अपने स्तर पर टीम गठित कर दोनों पक्षों को विधि को विधि सम्मत नोटिस के जरिये सूचित कर यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तथा नेखमबंदी की पालना 15 दिवस में अवश्य पेश करें। नेखमबंदी के दौरान किसी बिन्दु पर किसी प्रकार निर्माण होने की स्थिति में उस बिन्दु पर नेखम स्थापित नहीं किया जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहसीलदार दोनों पक्षों को नोटिस जारी करने के उपरान्त ही नेखमबंदी की कार्यवाही करेंगें।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर संबंधित पुलिस थाना से इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी सेड़वा

(रामजी भाई कलबी)
उपखण्ड अधिकारी
(सेड़वा)
उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा

क्रमांक/भू.अ./2022/1055-59 दिनांक 03/08/2022

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ-

1. तहसीलदार धनाऊ।
2. प्रार्थीगण पोकरराम पुत्र रामूराम वगैरा।
3. विप्रार्थीगण कानाराम पुत्र खंगाराराम वगैरा।
4. थानाधिकारी पुलिस थाना सेड़वा/चौहटन/[illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2022.08.27 14:33:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(सेड़वा)
उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 53/2021 अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट

पोकरराम वगैरा बनाम कानाराम वगैरा

पीठासीन अधिकारी –श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस

प्रार्थीगण वकील – बाबुलाल विश्नोई

निर्णय दिनांक – 03.08.2022

प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र मे कथन किया है कि तहसील धनाऊ पटवार क्षेत्र कितनोरिया भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र भूणिया के मौजा समों की ढाणी के खेत खसरा संख्या 633/246 रकबा 38.12 बीघा किस्म बारानी सोयम स्थित है। प्रार्थीगण के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पडोसी है। जिनके खेत प्रार्थीगण के खेत के पडोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काश्त अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते है। प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थीगण ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए। लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ, अतः उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण के वक्त काश्त प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओ को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमी की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थीगण विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार राजस्व रेकर्ड मे दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार की तहसील धनाऊ पटवार क्षेत्र कितनोरिया भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र भूणिया के मौजा समों की ढाणी के खेत खसरा संख्या 633/246 रकबा 38.12 बीघा किस्म बारानी सोयम की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार धनाऊ को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर को निर्देश दिये जाते है कि वो दोनो पक्षो के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पैमाईश करे व भूमापक कर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते है कि किसी सक्षम न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनो पक्षो के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काश्त मे परिवर्तन किये बिना मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। नेखमबन्दी के दौरान किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहरीर जारी हो।

तहसीलदार धनाऊ को आदेश दिया जाता है कि वे प्रार्थीगण के खसरें की नेखमबन्दी विप्रार्थीगण की उपस्थिति में करावें एवं नेखमबन्दी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हो।

पत्रावली पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हो पत्रावली पूर्ण शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 03.08.2022 को खुले न्यायालय परिसर में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2022.08.27 14:33:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी सेड़वा

(रामजी भाई कलबी)
उपखण्ड अधिकारी, सेड़वा
उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा